



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25042025-262696
CG-DL-E-25042025-262696

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1835]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 25, 2025/वैशाख 5, 1947

No. 1835]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 25, 2025/VAISAKHA 5, 1947

इस्पात मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2025

का.आ. 1868(अ).— इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार, सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2024 के नियम 5 और 7 के साथ पठित सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3,4,15क और 15खद्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा, भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ.2368(अ), दिनांक 19 जून, 2024 का उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमणसे पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, विश्लेषण, मॉनीटरिंग, नीति निर्माण और डाटा के प्रकाशन के प्रयोजन से लौह और इस्पात उत्पाद या निर्यातकों, आयातकों और संघों जैसे सूचनाप्रदाताओं से इसके साथ उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित विवरण के अनुसार कीमतों, उत्पादन, संस्थापित क्षमता, माल-सूची, इनपुट की खपत, निर्यात, आयात, विक्रय, लॉजिस्टिक, अवसंरचना तथा लौह और इस्पात उत्पादन अथवा विनिर्माण के किसी भी अन्य आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पहलू संबंधी आंकड़े एकत्रित करने का निदेश देती है और इस संबंध में,-

(क) निम्न सारणी में विनिर्दिष्ट अधिकारी उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सांख्यिकी अधिकारी, न्यायनिर्णायक अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी होंगे :

सारणी

	पता तथा ई-मेल सहित पदनाम	क्षेत्राधिकार
1. सांख्यिकी अधिकारी	उप निदेशक(सांख्यिकी प्रभाग) इस्पात मंत्रालय, उद्योग भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110011 दूरभाष-23061777 ई-मेल आईडी: Stats-steel@gov.in	संपूर्ण भारत
2. न्यायनिर्णायक अधिकारी	उप निदेशक(सांख्यिकी प्रभाग) इस्पात मंत्रालय, उद्योग भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110011 दूरभाष-23061777 ई-मेल आईडी: Stats-steel@gov.in	संपूर्ण भारत
3. अपीलीय प्राधिकारी	उप महानिदेशक(सांख्यिकी प्रभाग) इस्पात मंत्रालय, उद्योग भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110011 दूरभाष-23063046 ई-मेल आईडी:ddg-steel@gov.in	संपूर्ण भारत

- (ख) इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित संयुक्त संयंत्र समिति, जो इस्पात निकेतन, 52/1ए, बालीगंज सर्कुलर रोड, कोलकाता 700019 में स्थित है, इस संबंध में लौह और इस्पात उत्पादकों, व्यापारियों, निर्यातकों, आयातकों और संघों सहित सूचना प्रदाताओं से सांख्यिकी का संग्रहण करने अथवा इसमें सहायता करने अथवा पर्यवेक्षण करने के लिए मुख्य अभिकरण होगा;
- (ग) सूचनाप्रदाता सांख्यिकीय जानकारी की विशिष्टियां ऐसे प्ररूप में और ऐसे अंतराल में प्रस्तुत करेगा जैसा सांख्यिकीय अधिकारी इस संबंध में विनिर्दिष्ट करें;
- (घ) सांख्यिकी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, प्रत्येक सूचनाप्रदाता द्वारा दी गई जानकारी के सत्यापन, सुसंगत अभिलेखों का निरीक्षण करने और आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरण मांगने के लिए सांख्यिकी अधिकारी द्वारा जारी एक फोटो पहचान-पत्र या एक प्राधिकार पत्र अपने साथ रखेंगे;
- (ङ) इन निदेशों के संबंध में किसी भी क्रियाकलाप में नियोजित व्यक्ति सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) और सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2024 के उपबंधों द्वारा शासित होंगे।

अनुसूची

1. सांख्यिकी के संग्रहण का विषय और प्रयोजन—आंकड़ों के विश्लेषण, मॉनीटरिंग, नीति निर्माण और डाटा प्रकाशन के प्रयोजनसे भारत सरकार की अपेक्षा के अनुसार इस्पात मंत्रालय लौह और इस्पात उत्पादन या विनिर्माण की कीमत, उत्पादन, संस्थापित क्षमता, मालसूची, इनपुट की खपत, निर्यात, आयात, विक्रय, लॉजिस्टिक्स, अवसंरचना और उनकेअन्य आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय पहलुओं से संबंधित सांख्यिकी।
2. सांख्यिकी के संग्रहण के लिए भौगोलिक क्षेत्र—उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन संपूर्ण भारत में सांख्यिकी को एकत्रित किया जाएगा।
3. आंकड़े एकत्रित करने की पद्धति— सांख्यिकी अधिकारी द्वारा सूचना प्रदाता को एक नोटिस जारी किया जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना प्रस्तुत करने सहित, सूचना प्रस्तुत करने की तारीख, रूपविधान और वह रीति जिसमें सूचना प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, प्रदर्शित किया जाएगा।
4. सूचनाप्रदाता की प्रकृति जिनसे आंकड़े एकत्रित किए जा सकते हैं— सूचनाप्रदाता किसी कारखाने अथवास्थापन अथवा प्रबंधन का स्वामी अथवा अधिभोगी या भारसाधक व्यक्ति हैं जिन्हें सांख्यिकी अधिकारी द्वारा अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा।
5. वह अवधि जिसके दौरान सांख्यिकी का संग्रहण पूरा किया जा सकता है—सांख्यिकी अधिकारी द्वारा जारी नोटिस में प्रत्येक प्रकार की सूचना को प्रस्तुत करने की आवृत्ति और तारीख का उल्लेख किया जाएगा।
6. निर्दिष्ट अवधि—सांख्यिकी अधिकारी द्वारा जारी नोटिस में यथा विनिर्दिष्ट सूचना नियमित आधार पर प्रस्तुत करनी अपेक्षित है जो दैनिक अथवा पाक्षिक अथवा मासिक अथवा त्रैमासिक अथवा वार्षिक आधार पर हो सकती है।
7. एकत्रित की जाने वाली सूचना की प्रकृति— अपेक्षित सूचना लौह और इस्पात उत्पादन अथवा विनिर्माण की कीमतों, उत्पादन, संस्थापित क्षमता, माल सूची, इनपुट की खपत, निर्यात, आयात, विक्रय, लॉजिस्टिक्स, अवसंरचना और उनके कोई अन्य आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय पहलुओं से संबंधित है।
8. सूचना प्रदाता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूचना की भाषा—प्रत्येक सूचनाप्रदाता अंग्रेजी में विहित रूपविधान में अथवा सांख्यिकी अधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट रूपविधान में सूचना प्रस्तुत करेगा।
9. सूचना प्रदाता की बाध्यता—यथास्थिति किसी कारखाने अथवा स्थापन अथवा प्रबंधन का स्वामी अथवा अधिभोगी अथवा भारसाधक व्यक्ति, सांख्यिकी अधिकारी से प्राप्त नोटिस में उल्लिखित रीति से और तारीख तक सूचना प्रस्तुत करेगा, वह निरीक्षण के लिए सुसंगत अभिलेखों को भी प्रस्तुत करेगा तथा सांख्यिकी अधिकारी अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा यथा अपेक्षित सूचना के संबंध में प्रश्नों का उत्तर देगा।
10. निरीक्षण किए जाने वाले व्यापारिक अभिलेखों और अन्य दस्तावेजोंकी प्रकृति—किसी इकाई के व्यापारिकअभिलेख अथवा इकाई द्वारा सूचना के समर्थन में प्रस्तुत की गई अन्य किसीदस्तावेज का निरीक्षण सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा।
11. निरीक्षण की रीति—सांख्यिकी अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति इन निदेशों के अधीन इकाई के कारबार अभिलेख और अन्य अभिलेखों के आधार पर प्रदान की गई सूचना को सत्यापित कर सकेगा और उस परिसर के संबंध में स्पष्टीकरण मांग सकेगा, जहां संबंधित कारखाने अथवा स्थापन अथवा प्रबंधन के स्वामी अथवा अधिभोगी अथवा भारसाधक व्यक्ति अथवा इकाई के प्रबंधन द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ऐसे अभिलेख रखे गए हैं।

[फा. सं. एस-32015/2/2025-सांख्यिकी प्रभाग]

सुदर्शन मैदीरत्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF STEEL**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th April, 2025

S.O. 1868(E).— In exercise of the powers conferred by sections 3, 4, 15A and 15B of the Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009) (hereinafter referred to as the said Act) read with rules 5 and 7 of the Collection of Statistics Rules, 2024 and insupersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Steel, number S.O. 2368 (E), dated the 19th June, 2024, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Ministry of Steel in the Government of India, hereby directs that the collection of statistics from informants such as producers, traders, exporters, importers and associations of iron and steel on prices, production, installed capacity, inventory, consumption of inputs, exports, imports, sales, logistics, infrastructure and any other economic, social and environmental aspects of iron and steel production or manufacture, for the purpose of analysis, monitoring, formulation of policy and publication of data, shall be as per the details mentioned in the Schedule annexed herewith, and in this regard,-

(a) the officers specified in the following table shall be the statistics officer, adjudicating officer and appellate authority for the purposes of the said Act:

TABLE

	Designation with address and e-mail.	Jurisdiction.
1. statistics officer	Deputy Director (Statistics Division). Ministry of Steel, Udyog Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110011 Tele- 23061777 Email-id:stats-steel@gov.in	Whole of India.
2. adjudicating officer	Deputy Director (Statistics Division). Ministry of Steel, Udyog Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110011 Tele- 23061777 Email-id:stats-steel@gov.in	Whole of India.
3. appellate authority	Deputy Director General (Statistics Division). Ministry of Steel, Udyog Bhawan, Rafi Marg, New Delhi- 110011 Tele-23063046 E-mailID:ddg-steel@gov.in	Whole of India.

(b) the Joint Plant Committee constituted by the Ministry of Steel in the Government of India which is located at Ispat Niketan, 52/1A, Ballygunge Circular Road, Kolkata 700019 shall be the primary agency to take or aid in or supervise the collection of statistics from informants including producers, traders, exporters, importers and associations of iron and steel in this regard;

(c) the informant shall furnish the particulars of statistical information in such form, and within such intervals as the statistics officer may specify in this regard;

(d) the persons authorised by the statistics officer shall carry a photo identity card or a letter of authorization issued by the statistics officer, for verification of information furnished by each informant, for inspecting relevant records and for seeking clarifications, as may be necessary;

(e) the persons engaged in any activity in respect of these directions shall be governed by the provisions of the Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009), and Collection of Statistics Rules, 2024.

SCHEDULE

1. Subject and purpose for collection of statistics. — Statistics relating to prices, production, installed capacity, inventory, consumption of inputs, exports, imports, sales, logistics, infrastructure and any other economic, social, environmental aspects of iron and steel production or manufacturing shall be as per the requirement of the Ministry of Steel in the Government of India for the purpose of analysis, monitoring, policy formulation and publication of data.
2. Geographical area for collection of statistics. — The statistics would be collected in the whole of India under the provisions of the said Act.
3. Method of data collection. — A notice shall be issued by the statistics officer to informants, indicating therein the date by which, format and the manner in which the information is required to be furnished including submission of information in electronic form.
4. Nature of informants from whom data may be collected. — The informants are owners or occupiers or persons —in- charge of a factory or establishment or management to whom notice would be issued by the statistics officer for furnishing the required information.
5. Period during which collection of statistics may be completed. — The frequency and date of submission of each type of information would be mentioned in the notice issued by the statistics officer.
6. Reference period. —Information is required to be furnished on a regular basis which may be on daily or fortnightly or monthly or quarterly or annually as specified in the notice issued by the statistics officer.
7. Nature of information to be collected. — The information required relates to prices, production, installed capacity, inventory, consumption finputs, exports, imports, sales, logistics, infrastructure and any other economic, social, environmental aspects of iron and steel production or manufacturing.
8. Language in which information is to be furnished by informants. —Every informant shall furnish information in the prescribed formats in English or as specified by the statistics officer.
9. Obligation of informant. — An owner or occupier or person in-charge of a factory or establishment or management, as the case may be, shall furnish information in the manner and by the date mentioned in the notice received by him from the statistics officer along with relevant records for inspection and answer questions in relation to the information sought, as may be required by the statistics officer or a person authorised by him in this behalf.
10. Nature of business records and other document which may be inspected. — Business records of a unit or any other document in support of the information furnished by the unit may be inspected by the statistics officer or by the person authorised by him.
11. The manner of inspection. — The statistics officer or a person authorised by him in this behalf, may verify the information furnished under his directions on the basis of the business records and other records of the unit and seek clarification at the premises where such records are kept from the concerned owner or occupieror a person in-charge of a factory or establishment or management or a person authorised by the management of the unit.

[F. No. S-32015/2/2025-STAT.DIV.]

SUDERSHAN MENDIRATTA, Jt. Secy.